MJC – Semester II

B.Com Part – II Semster (1)

Business Organization and Managment

Company – कम्पनी

Q:– कम्पनी के गुण-दोष की विवेचना करें।

Ans– कम्पनी का जन्म एकाकी व्यापार एवं साझेदारी के दोषों को दूर करने के हेतु हुई थी। कम्पनी के निम्नलिखित लाभ या गुण है —

(1) सीमित दायित्व — एक कम्पनी के अंशधारकों का दायित्व उनके द्वारा लिए गए अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। कम्पनी के सीमित दायित्व के कारण अनेक व्यक्ति इसमें पूंजी लगाने के लिए तैयार हो जाते है। इससे बड़ी मात्रा में कम्पनी को पूंजी प्राप्त हो जाती है।

(2) वृहद वित्तीय संसाधन — स्वामित्व का कम्पनी स्वरूप विशाल वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम होता है। एक कम्पनी के पूंजी कम अंकित मूल्य वाले अंशों में विभाजित होते है जिससे कम आर्थिक संसाधनों वाले व्यक्ति भी कम्पनी के अंश क्रय कर सकते है।

(3) दीर्घ जीवन — कम्पनी लम्बे समय तक कार्य करती है। इस पर सदस्यों की मृत्यु पागलपन अथवा दिवालियापन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कम्पनी लम्बे समय के लिए योजनाएं बना सकती है व बड़ी परियोजनाओं को अपने हाथों में ले सकती है।

(4) कुशल प्रबंध — कम्पनी का प्रबंध कुशल व्यक्तियों द्वारा होता है। कम्पनियों का संचालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिन्हें व्यवसाय का अनुभव एवं ज्ञान होता है। साथ ही कम्पनी चाहे तो योग्य एवं अनुभवी विशेषज्ञों को भी कंपनी में नियुक्त कर सकता है।

(5) पूंजी प्राप्त करने में सुविधा — कम्पनी मुख्यतः समता अंश, पूर्वाधिकार अंश एवं ऋणपत्र के द्वारा पूंजी प्राप्त करती है। साधारण अंश वे व्यक्ति खरीदते हैं। जो जोखिम उठाना चाहते हैं तथा ऋण पत्र वे खरीदते हैं जो निश्चित आय प्राप्त करना चाहते हैं।

(6) अंश हस्तांतरण की सुविधा — कम्पनी में पूंजी लगाने से अंशधारियों को यह लाभ है कि जब चाहे तब अपने अंश अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरण करके कम्पनी से अलग हो सकते हैं।

(7) जोखिम का वितरण — एक कंपनी में हानि का जोखिम बहुत सारे सदस्यों पर बिखरी हुई अवस्था में होती है।

(8) सामाजिक लाभ — कम्पनी संगठन समाज की बचतों को संगठित करके उद्योग में निवेश करने में सहायता करता है।

कम्पनी के दोष — कम्पनी के निम्नलिखित दोष हैं—

(1) गठन की कठिनाई — एक कम्पनी का गठन बहुत मुश्किल तथा खर्चीला है। कई प्रपत्रों को तैयार करके पंजीयक के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

(2) निर्णय में देरी — प्रबंध के कई सारे स्तर निर्णयों को लेने में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। सभाएं बुलाने आयोजित करने तथा प्रस्ताव पारित करने में बहुत समय खर्च करते हैं। जिसमें काफी समय लग जाता है।

(3) अंशधारियों का शोषण — कम्पनी के संचालन पर अंशधारियों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है वे संचालकों की ईमानदारी व योग्यता पर निर्भर रहते हैं। संचालक कम्पनी की वास्तविक जानकारी छिपाकर उसके द्वारा अंशों

के नाम पर घटा-बढ़ाकर कई वर्षों तक लाभांश की घोषणा न कर अंशधारियों का शोषण करते है।

(4) **पूंजीवादी दोष** — कम्पनी ही पूंजीवाद की जनक है। कम्पनी के कारण ही बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप घनी आबादी वाले बड़े शहर आबाद हुए, मजदूरों का शोषण प्रारम्भ हुआ तथा जनता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा गलाकाट प्रतियोगिता के चलते अनेक उद्योग पूंजीपतियों के हाथों में चला गया। कम्पनी की स्थापना के बाद से ही व्यवसाय में तेजी मंदी आने लगी व व्यावसायिक क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ने लगा जाती है।

(5) **गोपनियता के अभाव** — कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनी के लेखे के प्रकाशित करना आवश्यक है। कम्पनी में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय संचालकों व अंशधारियों की उपस्थिति में लिये जाते है। अतः कम्पनी में गोपनियता का अभाव रहता है।

(6) **अत्यधिक सरकारी नियंत्रण** — कम्पनी को अपना काम कम्पनी अधिनियम, पार्षद सीमा नियम व पार्षद अंतर्नियम के अन्तर्गत करना होता है। पार्षद सीमा नियम व पार्षद अंतर्नियमों में आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसीलिये कम्पनी को कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है।

x —— x —— x

Dr. Raj Kumar Prasad
Associate Professor
Deptt of Commerce
Shershah College
SASARAM